

उत्तर रेलवे

लखनऊ मंडल

पत्र संख्या-220E/2-1/Reengagement/2026(S&T)

मण्डल कार्यालय

लखनऊ

दिनांक-07.05.26

अधिसूचना

विषय- लखनऊ मंडल पर मासिक पारिश्रमिक के आधार पर रेलवे के सिगनल संवर्ग से रेल सेवा से सेवानिवृत्त सिगनल संवर्ग के कर्मचारियों का अस्थाई पुनर्नियोजन किए जाने के संबंध में।

संदर्भ - रेलवे बोर्ड का पत्र सं.- E(NG)II/2024/RC-4/9 Dt. 15.10.2024 & 31.12.2024.

रेलवे बोर्ड के पत्र सं० E(NG)II/2024/RC-4/9 Dt. 15.10.2024 & 31.12.2024 के निर्देशानुसार रेलवे के सिगनल संवर्ग से रेल सेवा से सेवानिवृत्त (Superannuate) सिगनल संवर्ग के कर्मचारियों से निम्नलिखित पदों के विरुद्ध मासिक पारिश्रमिक के आधार पर पुनर्नियोजन (Re-engagement) करने का निर्णय लिया गया है। संवर्ग अनुसार पदों का विवरण निम्नवत है:-

Sr.no.	Post	Pay Level	No.of Post
1	SSE/Sig	7	01
2	JE/Sig	6	04
3	Sr. Tech/Sig	6	02
4	Tech.-I/Sig	5	05

रेलवे से सेवानिवृत्त सिगनल संवर्ग के ऐसे कर्मचारी, जो निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों को पूरा करते हों, से Annexure-A के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

उक्त पदों पर आवेदन करने के लिए पात्रता शर्तें नीचे दी गई हैं:-

- अधिसूचित पद से सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी पहले से ही उस विशिष्ट पद पर काम कर चुके हैं जिसके लिए आवेदन किया।
- ऐसे कर्मचारी, जो अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त/ पदच्युत या सेवा से बरखास्त किए गए हों अथवा स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त, संरक्षा संबंधित सेवानिवृत्त योजना (SRSS)/ संरक्षा कोटियों पर लागू उदारीकृत सक्रिय सेवानिवृत्त योजना (LARSGESS) के अंतर्गत स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हुए हों, वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।
- आवेदन पद के लिए निर्धारित चिकित्सा श्रेणी में फिट पाए जाने पर ही अंतिम रूप से पुनर्नियोजित किया जाएगा।
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियोजन के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी।
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पुनर्नियोजन 01 वर्ष की अवधि या अंगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी। यद्यपि, किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी के संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर, उसकी नियुक्ति अवधि को एक वर्ष की अवधि या 65वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।
- पुनर्नियोजित किए जाने वाले कर्मचारी का मासिक पारिश्रमिक का निर्धारण उसके/ उसकी अंतिम आहरित वेतन से पेंशनराशि घटाकर की जाएगी (Deducting the basic pension from the pay drawn at the time of retirement) तथा वार्षिक वेतन वृद्धि महंगाई भत्ता एचआरए देय नहीं होगा।
- निवास और कार्यस्थल के बीच आवागमन के प्रयोजन के लिए परिवहन भत्ते के रूप में एक उचित और सुनिश्चित राशि की अनुमति दी जाएगी, जो सेवानिवृत्ति के समय नियुक्त व्यक्ति पर लागू दर से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार निर्धारित राशि नियुक्ति अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगी।
- सेवा के प्रत्येक पूर्ण महीने के लिए 1.5 दिन की दर से सवैतनिक अनुपस्थिति अवकाश की अनुमति दी जा सकती है।

✓

9. सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पुनर्नियोजन हेतु उपयुक्तता का निर्धारण नामित समिति द्वारा उनके पुनर्नियोजित से पहले व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। पुनर्नियोजित कर्मचारी डीएआर/ सतर्कता मामलों से भी मुक्त होना चाहिए।

10. आरआरबी/ आरआरसी से चयनित उम्मीदवार या स्थानांतरण/पदोन्नति पर नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने पर पुनः नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा।

11. प्रशासन पुनः नियुक्त कर्मियों की सेवा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं यदि उनका प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है तो बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा समाप्त की जा सकती है।

12. पुनर्नियोजित कर्मचारियों के काम के घंटे नियमित कर्मचारियों के समान ही होंगे।

13. ऐसी पुनर्नियोजित की अवधि को किसी भी प्रयोजन के लिए सेवा के रूप में नहीं गिना जाएगा जैसा कि नियमित सेवारत कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य है।

14. कर्मचारियों की पुनर्नियोजित PLB या किसी अन्य अतिरिक्त लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

15. पुनर्नियोजित कर्मचारियों को इसीएस पीडब्ल्यूए भुगतान के तहत किसी भी कवरज के लिए कवर नहीं किया जाएगा।

16. Gratuity अधिनियम या रेलवे सेवा के लिए स्वीकार्य कोई पुनर्नियोजित सेवानिवृत्त कर्मचारी पर लागू नहीं होगा।

17. पुनर्नियोजित कर्मचारी किसी भी कल्याण योजना अर्थात् सी.जी.ए के अंतर्गत कवर नहीं होंगे।

18. पुनर्नियोजित कर्मचारी नियमित की तरह स्वीकार्य किसी भी अग्रिम के हकदार नहीं होंगे।

19. यदि पुनर्नियोजित कर्मचारी के कारण रेल प्रशासन को किसी प्रकार की आर्थिक क्षति होती है तो यह राशि उस कर्मचारी को रेलवे खाते में जमा करना होगा अन्यथा इसे देय पेंशन रिलीफ से समायोजित कर लिया जाएगा।

20. पुनर्नियोजित कर्मचारी से Cash Handling का कोई भी कार्य नहीं कराया जाएगा।

21. किसी भी प्रकार के अनुशासनहीनता, कर्तव्यों के प्रति शिथिलता तथा रेल सेवा आचरण नियम के उल्लंघन के दोषी पाये जाने पर बिना किसी नोटिस या Show Cause या Explanation के इनकी सेवा को समाप्त किया जा सकता है।

22. पुनर्नियोजित कर्मचारी इस बात का स्मरण रखेंगे की आपका पुनर्नियोजन अस्थाई है।

23. आपके पुनर्नियोजन से संबंधित रेलवे बोर्ड द्वारा जारी RBE No.-96/2024 के अंतर्गत समस्त विनिर्दिष्ट नियम लागू होंगे तथा भविष्य में भी समय समय पर पुनर्नियोजन से सम्बंधित रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नियमों, उपनियमों के तहत आपकी पुनर्नियोजन संचालित होगा तथा आप इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होंगे।

24. चयनित कर्मचारियों को उनके संबंधित शाखा अधिकारी/ Sr. SUPERVISORS द्वारा उनके दिये निर्धारित कार्यों को पूरा करना अनिवार्य होगा।

25. आरआरबी /आरआरसी से चयनित उम्मीदवारों के शामिल होने या नियमित पदस्थापना पर कर्मचारियों का स्थानांतरण/पदोन्नति पर या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या पद अभ्युपगम के कारण या जनशक्ति नियोजन के कारण प्रशासन को सेवाओं की आवश्यकता नहीं है एवं पुनर्नियोजित कर्मचारियों को सेवा में निरंतरता का अधिकार नहीं होगा।

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न होनी चाहिए:-

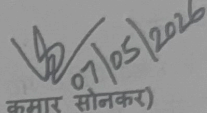
1. सेवा प्रमाण पत्र
2. पेंशन पहचान पत्र
3. पेंशन भुगतान औदश
4. अंतिम वेतन पर्ची
5. बैंक पासबुक की छायाप्रति
6. नवीनतम दो पासपोर्ट साइज फोटो
7. आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की छायाप्रति
8. शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता की छायाप्रति

अतः रेलवे के S&T विभाग के सिग्नल संवर्ग के सेवानिवृत्त कर्मचारी, जो उपरोक्त सभी नियमों एवं शर्तों को पूरा करते हो एवं सहमत हो तो वे अपना आवेदन निर्धारित प्रोफॉर्मो **Annexure- A** के माध्यम से सभी संबंधित प्रपत्रों के साथ

रेलवे

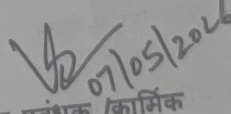
दिनांक- 22.05.26 तक इस कार्यालय में जमा करेंगे जिसमें लिफाफा पर सबसे ऊपर पुनर्नियोजन हेतु पद का उल्लेख करते हुए आवेदन प्रेषित किया जाना है। दिनांक- 22.05.26 के पश्चात प्राप्त आवेदन पर भी दशा में विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदन भेजने का पता:-
मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
उत्तर रेलवे, लखनऊ मंडल
हजरतगंज लखनऊ
पिन- 226001


(विजय कुमार सोनकर)
कृते मंडल रेल प्रबंधक/कार्मिक
लखनऊ

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. मंडल रेल प्रबंधक के सचिव - मंडल रेल प्रबंधक को सादर सूचनार्थ।
2. अपर मंडल रेल प्रबंधक I, II एवं वाराणसी के सचिव- अपर मंडल रेल प्रबंधक को सादर सूचनार्थ।
3. प्रमुकाधि के सचिव - प्रमुकाधि महोदय को सादर सूचनार्थ।
4. वरि. मंडल संकेत एवं दूर संचार अभियंता/ समन्वय महोदय के सादर सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
5. वरि. मंडल वित्त प्रबंधक/ EDPM - मंडल की वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु।
6. मु. का. अधी./ सी.आर.अनु./मं.का./लखनऊ।
7. मंडल सचिव/ NRMU&URMU
8. मंडल सचिव/OBC&SC&ST Asso.
9. सूचना पट्टा।


कृते मंडल रेल प्रबंधक/कार्मिक
लखनऊ

EDPM copy

DATE: 24/05/20

ANNEXURE - C

Action

उत्तर रेलवे, लखनऊ मंडल

Annexure - A

228
KUMAR MUKYANU
SR ALP

DURGESH DUTT M

सेवा में
मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
उत्तर रेलवे हजरतगंज लखनऊ
पिन - 226001

मैं उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के उपरोक्त अधिसूचना में उल्लेखित नियमों एवं शर्तों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर पुनर्नियोजन हेतु आवेदन करता / करती हूँ। मेरा सेवा विवरण निम्नवत है-

1. नाम

2. पिता/पति का नाम

3. सेवानिवृत्ति के समय धारित पद

4. किस विभाग/यूनिट से सेवानिवृत्त हुए

5. जन्म तिथि

6. नियुक्ति तिथि

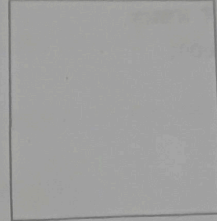
7. सेवानिवृत्ति तिथि

8. शैक्षणिक योग्यता

9. पे बैंड + ग्रेड पे/ पे लेवल (सेवानिवृत्ति के समय)

10. आवेदित कोटि/पद पर की गई सेवा अवधि

11. यदि समान्य सेवानिवृत्ति के आलावा सेवानिवृत्त हुए हैं तो निम्न पर चिन्ह लगाने



Voluntary Retirement
Other

Compulsory Retirement

LARSGESS/SRSS

12. पत्राचार का पता (पिन नम्बर सहित)

13. मोबाईल नम्बर

14. अंतिम आहरित मूल वेतन एवं पे-लेवल.

15. बेसिक पेंशन

16. सेवानिवृत्ति के समय मेडिकल कोटि

17. पी. पी.ओ. नम्बर

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज:-

1. सेवा प्रमाण पत्र

2. पेंशन पहचान पत्र

3. पेंशन भुगतान आदेश

4. अंतिम वेतन पर्ची

5. बैंक पासबुक की छायाप्रति

6. नवीनतम दो पासपोर्ट साइज फोटो

7. आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की छायाप्रति

8. शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता की छायाप्रति

मैं एतद द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है। यदि किसी प्रकार की गलत सूचना पाया जाता है तो मैं दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हूँ। मैं यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि अधिसूचना में दिए गए निर्धारित नियमों एवं शर्तों को निष्ठापूर्वक पालन करूंगा / करूंगी। मैं SRSS/LARSGESS एवं Medical unfit for all categories से सेवानिवृत्त नहीं हुआ / हुई हूँ। बिना किसी पूर्व सूचना के बिना कोई स्पष्टीकरण या कारण बताए मेरा पुनर्नियोजन समाप्त किया जा सकता है।

सेवानिवृत्त कर्मचारी का हस्ताक्षर

दिनांक-

3. 5